तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशिल जज

मूलसिंह N/S चावण्डसिंह 83/16

16/7/20 वकुलाम उप. गत आदेश की पालना में मिसल दिनांक 05/8/20 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

05/8/20: वकुलाम उप. बाधा प्रारम्भ आदेश-9 नियम-9 सुनी गई। मिसल दिनांक 25/8/20 को वास्ते आदेश पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

25/8/20 PO सुर अध्यक्ष
पीठासीन अधिकारी ... अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण ... दिनांक 17/9/20 ...

17/9/20 वकुलाम उप. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम-09 CPC मियाद बाहर होने, ठोस तथ्यों के अभाव में आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। मामले में पारित निर्णय पृथक से लिखा जाकर ... किया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण –

1. मूलसिंह पुत्र छतरसिंह
2. रघूवीरसिंह पुत्र छतरसिंह
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र छतरसिंह
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र छतरसिंह
5. श्रवणसिंह पुत्र सम्पसिंह
6. दलिपसिंह पुत्र सम्पतसिंह
7. सुरेन्द्रसिंह पुत्र सम्पतसिंह

वादीगण संख्या 5 से 7 नाबालिग उम्र क्रमशः 16, 14, 12 जरिये कुदरती वलिया माता संतोषकवंर

8. संतोषकवंर पत्नी सम्पतसिंह
9. भंवर कवंर पत्नी स्व. छतरसिंह

जातियान–समस्त राजपूत निवासीगण टांगला तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. चावण्डसिंह पुत्र छतरसिंह
   कौम राजपूत निवासी टांगला तहसील जायल हाल निवासी बरवाली तहसील जायल जिला–नागौर।
2. तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी.

1. अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कडवासरा व शिवकुमार पाराशर अप्रार्थी 1 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार उपस्थित।

मुकदमा नं. 83/2016

दिनांक : 17/09/2020

– : : आदेश : :–

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अधीन आदेश 09 नियम 09 सीपीसी को पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा में वादीगण ने दिनांक 04.04.2003 को उक्त अनुवान का एक वाद पत्र संख्या 83/2003 पेश किया। जो जैर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

विचाराधीन था, वादीगण अपने वकील से लगातार पेशी लेते रहे। विगत एक–दो साल पहले वादीगण के वकील साहब ने कहा की पत्रावली न्यायालय में मिल नहीं रही है। पत्रावली नम्बर पर आने पर तारीख पेशी से अवगत करा दूगा। इसी दरमियान वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र वाद को तारीख पेशी पर लेने बाबत् पेश किया तब जानकारी हुई कि वादीगण का वाद दिनांक 29.07.2007 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है, जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि वादीगण ने दिनांक 25.07.2016 को प्राप्त की गई। परन्तु वादी रघूवीरसिंह बीमार होने के कारण, वादीगण दिलीप व सुरेन्द्र जयपुर में रहने के कारण तथा अन्य वादीगण खेतीकार्य में व्यस्त रहने के कारण पूर्ण सलाह–मशवरा करने में समय लगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूल राजस्व वाद संख्या 83/2003 निर्णय दिनांक 29.07.2007 को पुनः रिस्टोर किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री मुन्नीलाल कड़वासरा, शिवकुमार पाराशर ने वकालातनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल है।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 का जवाब मय विशेष उजरात पेश कर प्रार्थना के आंशिक तथ्य स्वीकार करते हुये तथा अन्य समस्त पैराज में वर्णित तथ्य मनगढत, मिथ्या, काल्पनिक होने से अस्वीकार किया। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया वादीगण ने यह स्वीकार किया कि है कि वे अपने वकील से लगातार पेशी लेते रहे है तथा करीब एक दो साल पहले तक नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने पर दावा खारिज होने की जानकारी हुई, जबकि वादपत्र 10 वर्ष पूर्व ही दिनांक 29.07.2007 को खारिज हो चुका है। जिसकी नकल वकील वादीगण ने 25.07.2016 को प्राप्त की है। अतः वकील प्रार्थी का उक्त कथन सरासर झूठ है, तथा प्रार्थना मियाद बाहर होने से प्रार्थना पत्र पेश किया जाना न्यायसंगत नहीं है, वादीगण मात्र प्रतिवादी को तंग व परेशान करने की नियत से तथा न्याय की मंशा के विपरित होने से बिना ठोस तथ्यों व आधार पर अन्दर मियाद तथा जानकारी के अभाव में 10 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र पेश कर वाद पत्र संख्या 83/2003 को पुनः रिस्टोर किये जाने के तथ्य हास्यास्पद है जिनका कन्सिडर नहीं किया जा सकता है। तथा न ही प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, बाद मियाद, आधारहीन होने तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है तथा सव्यय खारिज किये जाने लायक है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र वास्ते बहस नियत किया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य एवं प्रार्थना पत्र के जवाब में वर्णित तथ्यों का पुनदोहरान किया। तथा वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद संख्या 83/2003 का पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र मियाद बाहर, ठोस तथ्यो व आधार पर नहीं होने से तत्समय वाद का कारण ही समाप्त हो चुका था इसलिए वादी प्रतिवादीगण इस वाद को ही भूल गये थे। अब आपसी मन मुटाव व घरेलू झगड़ो व छोटी मोटी लड़ाई की वजह से प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 के साथ निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए किया जाना प्रतीत होता है। उक्त एक पक्षीय निषेधाज्ञा दिनांक 17.08.2016 से आदिनांक तक विचाराधीन है। जिसके कारण अप्रार्थीगण अनावश्यक रूप से प्रताड़ित हो रहे है। अतः प्रार्थना आदेश 09 नियम 09 खारिज योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 सिविल प्रक्रिया संहिता मियाद बाहर होने ठोस तथ्यों के अभाव में आधारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17/09/2020 को सरे ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

17/09/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर, जायल
जिला–नागौर

Scanned with CamScanner